

अध्याय - 3

राज्य उत्पाद शुल्क, मनोरंजन, बैटिंग और विलासिता कर

3.1 कर प्रबंधन

विभाग का अध्यक्ष आयुक्त (उत्पाद, मनोरंजन, बैटिंग और विलासिता कर) है जो प्रधान सचिव (वित्त) रा.रा.क्षे., दिल्ली सरकार के प्रशासकीय नियन्त्रण के अधीन कार्य करता है। विभाग सिनेमा हॉलों, केबल सेवा प्रदाताओं, सट्टेबाजी की गतिविधियों व होटल मालिकों से राज्य उत्पाद शुल्क, मनोरंजन, बैटिंग और विलासिता करों के आरोपण व संग्रहण हेतु उत्तरदायी है।

3.2 प्राप्तियों की प्रवृत्ति

2007-08 से 2011-12 की अवधि के दौरान उत्पाद, मनोरंजन, बैटिंग व विलासिता पर करों की वास्तविक प्राप्तियाँ और इस अवधि की कुल प्राप्तियाँ निम्न तालिका 3.1 और ग्राफ में प्रदर्शित हैं:

तालिका 3.1 : कुल कर प्राप्तियों का उल्लेख

(₹ करोड़ में)

| राजस्व शीर्ष | वर्ष | बजट अनुमान (ब.अ.) | वास्तविक प्राप्तियाँ | विभिन्नता आधिक्य (+)/ कमी (-) | विभिन्नता का प्रतिशत | राज्य की कुल कर प्राप्ति | कुल कर प्राप्तियों में वास्तविक प्राप्तियों की प्रतिशतता |
|---|---------|-------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------------|--|
| राज्य उत्पाद, मनोरंजन, बैटिंग तथा विलासिता कर | 2007-08 | 1580.03 | 1733.68 | (+) 153.65 | (+) 9.72 | 11782.80 | 14.71 |
| | 2008-09 | 1917.30 | 1821.46 | (-) 95.84 | (-) 5.00 | 12180.70 | 14.95 |
| | 2009-10 | 2006.00 | 1929.20 | (-) 76.80 | (-) 3.83 | 13447.86 | 14.35 |
| | 2010-11 | 2022.50 | 2345.29 | (+) 322.79 | (+) 15.96 | 16477.75 | 14.23 |
| | 2011-12 | 2746.00 | 2931.25 | (+) 185.25 | (+) 6.74 | 19971.67 | 14.68 |

यह देखा जा सकता है कि ब.अ. और वास्तविक प्राप्तियों के बीच विभिन्नता 2008-09 के दौरान कम से कम (-) ₹ 95.84 करोड़ थी और 2010-11 के दौरान अधिक से अधिक ₹ 322.79 करोड़ तक अधिक थी।

3.3 संग्रहण पर व्यय

2009-10 से 2011-12 के दौरान संग्रहण पर व्यय और इस व्यय का राज्य उत्पाद, मनोरंजन, बैटिंग और विलासिता कर के सकल संग्रहण से प्रतिशत और वर्ष 2010-11

के लिए सकल संग्रहण से संग्रहण पर व्यय की अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता तालिका 3.2 में दी गई है:

तालिका 3.2 : संग्रहण लागत का उल्लेख (₹ करोड़ में)

| राजस्व शीर्ष | वर्ष | संग्रहण | राजस्व संग्रहण पर व्यय | संग्रहण में व्यय का प्रतिशतता | वर्ष 2010-11 के लिए राज्य उत्पाद शुल्क की अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता |
|--|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------------|---|
| राज्य उत्पाद, मनोरंजन, बैटिंग और विलासिता कर | 2009-10 2010-11 2011-12 | 1929.20 2345.29 2931.25 | 9.24 10.07 11.55 | 0.48 0.43 0.39 | 3.05 |

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट हो जाता है कि राज्य उत्पाद, मनोरंजन, बैटिंग और विलासिता कर के संग्रहण पर व्यय की प्रतिशतता अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता से कम थी ।

3.4 आंतरिक लेखापरीक्षा

विभागों के पास अपनी कोई आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रणाली नहीं थी । वित्त मंत्रालय, के रा.रा.क्षे., दिल्ली सरकार के लेखापरीक्षा निदेशक को रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के सभी कार्यालयों/विभागों जिनमें राज्य उत्पाद, मनोरंजन, बैटिंग और विलासिता कर विभाग भी सम्मिलित हैं, की आन्तरिक लेखापरीक्षा का कार्य सौंपा गया है ।

3.5 लेखापरीक्षा का परिणाम

वर्ष 2011-12 के दौरान आयोजित रा.रा.क्षे., दिल्ली सरकार के राज्य उत्पाद, मनोरंजन, बैटिंग और विलासिता कर विभाग से संबंधित अभिलेखों की नमूना जाँच में 26 मामलों में ₹ 28.78 करोड़ की राजस्व की हानि, कम कर की उगाही और अन्य अनियमितताएँ निम्नलिखित श्रेणियों के अन्तर्गत पाई गई जिन्हें तालिका 3.3 में दिया गया है:

तालिका 3.3 : वर्गानुसार अनियमितताएँ (₹ करोड़ में)

| क्र.सं. | वर्ग | मामलों की सं. | धनराशि |
|--|--|---------------|--------------|
| राज्य उत्पाद, मनोरंजन, बैटिंग व विलासिता कर | | | |
| 1. | मनोरंजन, बैटिंग व विलासिता के कर निर्धारण, उद्ग्रहण व संग्रहण की प्रणाली | 1 | 24.66 |
| 2. | अन्य | 25 | 4.12 |
| कुल | | 26 | 28.78 |

₹ 24.66 करोड़ की धनराशि के मामले की निम्नलिखित पैराग्राफों में चर्चा की गई है ।

3.6 मनोरंजन, बैटिंग और विलासिता पर कर निर्धारण, उद्ग्रहण व संग्रहण की प्रणाली की निष्पादन लेखापरीक्षा

मुख्य बिन्दु

- कर अदायगी के प्रमाण के रूप में कर दाताओं द्वारा जमा कराए गए रिटर्न और चालानों का संपूर्ण अभिलेख रखने में विभाग की असफलता के परिणामस्वरूप कर दाताओं द्वारा अदा किए गए कर की शुद्धता का सत्यापन नहीं हो सका ।
(अनुच्छेद 3.6.8)
- केवल आपरेटरों से कर के देरी से भुगतान पर ₹ 11.00 लाख के ब्याज के अतिरिक्त ₹ 100 लाख का कर अदा करने में देरी पर कर तथा ब्याज के संग्रहण में विभाग असफल रहा ।
(अनुच्छेद 3.6.9.1)
- विभाग डीटीएच सेवा प्रदाताओं से कर की देर से अदायगी के कारण ₹ 4.89 करोड़ के ब्याज की वसूली में असफल रहा ।
(अनुच्छेद 3.6.9.2)
- विभाग 12 सिनेमाघर मालिकों से ₹ 1.26 करोड़ के मनोरंजन शुल्क तथा होटल मालिकों से ₹ 9.76 करोड़ के विलासिता शुल्क के बकाया मामलों का अनुसरण करने में असफल रहा ।
(अनुच्छेद 3.6.9.3 और 3.6.9.7)
- 2007-08 तथा 2011-12 की अवधियों के बीच मनोरंजन कर अधिकारियों द्वारा किए गए कर निर्धारण के विरुद्ध कुल ₹ 4.64 करोड़ की 64 याचिकाएँ दायर की गईं परन्तु अपीलीय प्राधिकरण द्वारा केवल तीन मामलों का निर्णय लिया जा सका । इसके अतिरिक्त विलासिता कर अब भी होटल मालिकों द्वारा जमा नहीं कराया गया है ।
(अनुच्छेद 3.6.9.8)
- होटल मालिकों द्वारा प्राप्त किया गया बैंकट हॉल/कान्फ्रेंस हॉल हेतु किराया प्रभार/किराये को उनकी प्राप्तियों में गैर-सम्मिलन के कारण छः होटलों में ₹ 5.99 करोड़ के विलासिता कर का कम उद्ग्रहण हुआ ।
(अनुच्छेद 3.6.9.9)
- 2008-09 से 2011-12 की अवधि के दौरान किसी आन्तरिक लेखापरीक्षा का आयोजन नहीं किया गया जिससे विभाग का प्रभावी व कुशल क्रियान्वयन सुनिश्चित नहीं किया जा सका ।
(अनुच्छेद 3.6.10)

3.6.1 प्रस्तावना

दिल्ली मनोरंजन व बैटिंग कर (डीईबीटी) अधिनियम, 1996, रा.रा.क्षे. दिल्ली में मनोरंजन, टोटलाइजेटर तथा बैटिंग कर के उद्ग्रहण हेतु प्रावधान करता है। मनोरंजन कर सिनेमा शो, मनोरंजन कार्यक्रमों अर्थात् प्रदर्शनी, कार्यक्रम प्रस्तुति, मनोरंजन, सिनेमाटोग्राफ प्रदर्शनी, इत्यादि में प्रवेश पर और केवल और डायरेक्ट-टू-होम (डीटीएच) सेवाओं हेतु उद्ग्रहणीय है। टोटलाइजेटर और बैटिंग कर रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के अन्तर्गत घुड़दौड़ों में लगाए जाने वाले सट्टे तथा बाजी उद्ग्रहणीय है।

यह अधिनियम उसके अन्तर्गत निर्मित नियमों के साथ निर्दिष्ट प्रपत्रों के जमा कराने और प्रावधानों का अनुपालन न होने पर ब्याज और अर्थदण्डों के आरोपण हेतु प्रावधान करता है। यह भूमि राजस्व के बकायों की तरह से करों की उगाही हेतु भी प्रावधान करता है।

दिल्ली विलासिता कर (डीटीएल) अधिनियम, 1996 और उसके अन्तर्गत बने नियम होटल मालिकों की प्राप्तियों की कुल टर्नओवर पर विलासिता कर का उद्ग्रहण 15 प्रतिशत से अधिक न करने का प्रावधान करते हैं, यह दर समय-समय पर सरकार द्वारा अधिसूचित की जाती है। जहाँ प्रभार दैनिक आधार के अलावा अन्य तरीके से अथवा प्रति कमरे के आधार पर उद्ग्रहित किये जाते हैं, कर देयता के निर्धारण हेतु प्रभार प्रति दिन और प्रति कमरे के अनुपात में आवास में रहने की कुल अवधि के आधार पर परिकलित किए जाएंगे। विलासिता कर, खाद्य और पेय पदार्थों की आपूर्ति हेतु प्राप्तियों के कुल टर्नओवर के संबंध में उद्ग्रहणीय नहीं है, जिनकी विक्री पर होटल मालिकों द्वारा मूल्य वर्द्धित कर (वैट) देय है। नियम के साथ पठित अधिनियम देय कर के भुगतान के लिए समय सीमा प्रस्तावित करते हैं और नियम के उल्लंघन पर अर्थदण्ड लगाने हेतु प्रावधान करते हैं।

3.6.2 संगठनात्मक ढाँचा

प्रधान सचिव (वित्त), रा.रा.क्षे., दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) के प्रशासकीय नियंत्रण में दोनों डी.ई.बी.टी अधिनियम व डी.टी.एल अधिनियम के प्रशासन का कार्यभार मनोरंजन, बैटिंग और विलासिता कर विभाग (विभाग) को सौंपा गया है।

विभाग का अध्यक्ष आयुक्त, मनोरंजन, बैटिंग व विलासिता कर होता है जिसकी सहायता एक उपायुक्त (कर) करता है। कर के निर्धारण, उद्ग्रहण व संग्रहण और उनके प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन निरीक्षक के कार्य का पर्यवेक्षण करने हेतु तीन विलासिता कर अधिकारी, एक मनोरंजन कर अधिकारी, एक अतिरिक्त मनोरंजन कर अधिकारी व एक सहायक मनोरंजन कर अधिकारी होते हैं। यह कार्य नौ जिलों में उपरोक्त अधिकारियों के बीच विभाजित किया गया है।

3.6.2.1 राजस्व की प्रवृत्ति


पिछले 5 वर्षों के दौरान बजट अनुमानों (ब.अ.) और राजस्व के वास्तविक संग्रहण की

स्थिति तालिका 3.4 में दी गई है:

तालिका 3.4 : राजस्व का बजट अनुमान तथा वास्तविक संग्रहण

(₹ करोड़ में)

| वर्ष | मनोरंजन कर | | बैटिंग कर | | विलासिता कर | |
|---------|------------|---------|-----------|---------|-------------|---------|
| | ब.अ. | संग्रहण | ब.अ. | संग्रहण | ब.अ. | संग्रहण |
| 2007-08 | 49.50 | 53.98 | 4.13 | 5.86 | 360.00 | 372.59 |
| 2008-09 | 55.00 | 55.63 | 5.30 | 4.76 | 432.00 | 340.16 |
| 2009-10 | 55.00 | 55.71 | 7.00 | 5.90 | 432.00 | 224.03 |
| 2010-11 | 55.00 | 62.90 | 7.50 | 6.30 | 280.00 | 249.00 |
| 2011-12 | 58.00 | 90.79 | 8.00 | 6.94 | 280.00 | 299.80 |



उपरोक्त वर्षों के दौरान बजट अनुमान या बहुत बढ़ाए गए या कम किए गए थे, जैसा कि इस तथ्य से स्पष्ट है कि ब.अ. और वास्तविक संग्रहणों में अन्तर दोनों ओर 7 से 57 प्रतिशत तक था ।

समापन सम्मेलन के दौरान आयुक्त ने बताया कि विलासिता कर पर वास्तविक प्राप्तियाँ पूर्वानुमान न किए जा सकने योग्य प्रकृति की हैं क्योंकि वे सार्वभौमिक परिस्थितियों पर निर्भर करती हैं । मनोरंजन कर के सम्बन्ध में सरकार ने बताया (फरवरी 2013) कि ये अन्तर डीईबीटी अधिनियम के अंतर्गत डीटीएच सेवाओं को सम्मिलित करने के कारण थे । हालाँकि, विभाग द्वारा वास्तविक बजट अनुमानों को तैयार करने हेतु किसी विधि का निर्धारण करना शेष है ।

3.6.3 लेखापरीक्षा क्षेत्र

जून 2012 में हुए प्रवेश सम्मेलन के दौरान उपायुक्त (कर) के साथ लेखापरीक्षा क्षेत्र की विस्तार में चर्चा की गई । निष्पादन लेखापरीक्षा जून 2012 से सितम्बर 2012 की अवधि के दौरान आयुक्त, मनोरंजन, बैटिंग व विलासिता कर के कार्यालय में आयोजित की गई थी और इसमें 2007-08 से 2011-12 की अवधि के लेनदेनों का समावेश

किया गया था। केबल सेवा प्रदाताओं और सिनेमा हॉलों के मामलों में करदाताओं की फाइलों में क्रमशः रिटर्न और चालनों के उपलब्ध न होने के कारण केवल 2009-10 से 2011-12 की अवधि को सम्मिलित किया गया था। उच्च, मध्यम व निम्न कर संग्रहण के आधार पर, तीन जिलों को केबल कर सम्बन्ध में (दक्षिण, पश्चिम और उत्तर), सिनेमा कर (दक्षिण, नई दिल्ली और उत्तर) और विलासिता कर (नई दिल्ली, दक्षिण-पश्चिम और उत्तर-पश्चिम) का चुनाव किया गया। सिनेमा हॉलों केबल सेवा प्रदाताओं, मनोरंजन-कार्यक्रम आयोजकों, होटल मालिकों एवं बैटिंग क्लबों से कर के निर्धारण, उद्ग्रहण एवं संग्रहण से संबंधित विभाग की समस्त गतिविधियां लेखापरीक्षा कार्य में शामिल की गई है।

3.6.4 लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली

चूंकि अभिलेखों का रख-रखाव लगभग सभी मामलों में बहुत खराब था इसलिए रिटर्न एवं कर चालान सम्बंधित फाइलों में नहीं रखे गए बल्कि बोरों में भरकर रखे गए थे (जैसा कि फोटोग्राफ में चित्रित किया गया है) जिस कारण इसके विस्तृत संवीक्षा के लिए विशिष्ट इकाईयों का चयन संभव न हो सक और लेखापरीक्षा दल विभाग के इलेक्ट्रॉनिक तंत्र पर उपलब्ध सूचना से यदृच्छया प्रतिदर्श के आधार पर चयनित जिलों में से इकाईयों के चयन के लिए बाध्य हुआ। तंत्र पर उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर विस्तृत संवीक्षा के लिए 34 सिनेमा हॉलों में से 12 सिनेमा हॉल, 688 केबिल सेवा प्रदाताओं में से 304 केबिल सेवा प्रदाता, 177 होटल प्रतिष्ठानों में से 60 होटल प्रतिष्ठान और 32 बुक मेकर्स में से 16 बुक मेकर्स का चयन किया गया। लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली में चयनित होटल मालिकों के द्वारा प्रस्तुत रिटर्न का संवीक्षण, तंत्र पर उपलब्ध चयनित कर निर्धारितियों (केबिल, बुक मेकर एवं सिनेमा) के विषय में सूचना और उनके द्वारा सरकारी लेखे में जमा राशि का परीक्षण शामिल था। इसके अतिरिक्त 31 कर-छूट प्राप्त कार्यक्रमों से संबंधित अभिलेखों और 20 कर-प्रदत्त कार्यक्रमों से संबंधित फाइलों की संवीक्षा की गई।



बोरे में कर चालान और रिटर्न



लेखापरीक्षा दल द्वारा बोरो से चालान और रिटर्न को बाहर निकालते हुए

3.6.5 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा का उद्देश्य कर संग्रहण कार्यप्रणाली की दक्षता और प्रभावकारिता का मूल्यांकन करना तथा क्या सभी देय कर सरकारी खजाने में प्रेषित किए जा रहे थे का निर्धारण करना था। निष्पादन लेखापरीक्षा में विभाग में क्रियाशील आंतरिक नियंत्रण

तंत्र की प्रभावोत्पादकता का मूल्यांकन भी शामिल था । लेखापरीक्षा मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य यह निश्चित करना है कि क्या:-

- विलासिता, मनोरंजन एवं बैटिंग टैक्स का कर निर्धारण, कर उद्ग्रहण और संग्रहण डीटीएल अधिनियम, डीईबीटी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार और उसके अधीन नियमों के अंतर्गत है ।
- कर की रियायतों को लागू अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत सही तरीके से अनुमत किया गया है ।
- माँग की बकाया राशि के प्रभावी और समय पर अनुपालन के लिए तंत्र रखा गया है और बकायो की वसूली के लिए समुचित कदम उठाए गए हैं ।
- विभाग में उपयुक्त तंत्र और आंतरिक नियंत्रण कार्यप्रणाली थी ताकि राजस्व निःसरण को रोका जा सके ।
- क्या अधिनियमों और नियमों अथवा उनके क्रियान्वयन में कोई कमी थी जिसके कारण राजस्व का निःसरण हुआ ।
- विभाग के अंतिम निष्पादन लेखापरीक्षा जिसमें वर्ष 2000-01 से 2004-05 की अवधि के मनोरंजन एवं बैटिंग टैक्स के मानले तथा मार्च 2006 तक विलासिता कर के मामले शामिल थे, में की गई सिफारिशों के क्रियान्वयन के लिए सुधारात्मक कदम उठाए गए थे ।

3.6.6 लेखापरीक्षा मानदण्ड

लेखापरीक्षा मानदण्ड निम्नलिखित स्रोतों से व्युत्पन्न थे:

- दिल्ली मनोरंजन एवं बैटिंग टैक्स अधिनियम, 1996 और उसके अन्तर्गत बनाए गए नियम ।
- दिल्ली टैक्स विलासिता अधिनियम, 1996 और उसके अन्तर्गत बनाए गए नियम ।
- सामान्य वित्तीय नियमों के प्रावधान ।

3.6.7 अभिस्वीकृति

भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग लेखापरीक्षा को पूर्ण करने में लेखापरीक्षा को दिए गए मनोरंजन, बैटिंग एवं विलासिता कर विभाग रा.रा. क्षे. दि.स. के सहयोग की स्वीकृति देती है । सरकार को नवम्बर 2012 में निष्पादन लेखापरीक्षा अग्रेषित किया गया । आयुक्त, मनोरंजन, बैटिंग एवं विलासिता कर और उपसचिव (वित्त) रा.रा. क्षे. दि.स. के साथ 29 जनवरी 2013 को समापन सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें लेखापरीक्षा के परिणामों तथा सिफारिशों पर विचार-विमर्श किया गया । सरकार के प्रत्युत्तरों को सम्बन्धित पैराग्राफों में उचित रूप से सम्मिलित किया गया है ।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

3.6.8 मूल अभिलेखों का गैर अनुरक्षण

जिस प्रकार मनोरंजन कर, केबिल कर, डीटीएच सेवायें और बैटिंग कर के भुगतान के समर्थन में रिटर्न के प्रस्तुतिकरण में डीईबीटी नियमों के नियम सं. 14,26,26ए और 50 में प्रावधान है। उसी प्रकार डीटीएल नियमों के नियम सं.16 में होटल मालिकों के द्वारा रिटर्न प्रस्तुतिकरण के लिए उपबंध है। यदि रिटर्न के अनुसार कर का भुगतान नहीं किया जाता है तो संबंधित विलासिता कर अधिकारी उसे नोटिस भेजकर उससे रिटर्न के अनुसार देय राशि के भुगतान के लिए माँग करेगा परन्तु शेष अदत्त राशि के लिए डीटीएल नियमों के नियम सं.18 के अन्तर्गत जारी नोटिस में विनिर्धारित तिथि तक भुगतान करने के लिए माँग करेगा। डीईबीटी अधिनियम की धारा 15 निर्धारित करती है कि जहाँ पर कर निर्धारण प्राधिकारी को यह संतुष्टि होती है कि एक मनोरंजन इकाई का मालिक सही और पूर्ण रिटर्न प्रस्तुत करने में असफल रहा है अथवा धोखे से कर अपवचन किया है तो वहाँ पर सम्बन्धित मालिक को सुनवाई का पर्याप्त मौका दिए जाने के पश्चात् उसे देय कर राशि का निर्धारण करना चाहिए।

अधिनियमों और नियमों के प्रावधानों की अनुपालना की सुनिश्चितता के लिए कर भुगतान के समर्थन में रिटर्न और चालानों का उचित रख-रखाव तथा संवीक्षा आवश्यक है। लेखापरीक्षा के दौरान रिटर्न और चालान संबद्ध फाइलों में समुचित रूप से फाइल करने के बजाय बड़े थैलों में भरे हुए पाए गए। यह इस तथ्य का सूचक है कि देय और भुगतान किए गए कर की शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए इन रिटर्नों की संवीक्षा नहीं की गयी जब कि कर निर्धारिती के द्वारा भुगतान किए गए कर को साधारणतया देय कर के रूप में माना गया था। विभाग में अभिलेखों का गैर रख-रखाव आन्तरिक नियंत्रण की कमजोरी इंगित करता है।

सरकार (फरवरी 2013) ने कहा कि कार्य के भार और कर्मचारियों की कमी के कारण अभिलेखों का अनुरक्षण नहीं किया जा सका। हालाँकि विभाग ने संबंधित कर्मचारियों को रिटर्न और चालानों को सम्बद्ध फाइलों में अद्यतन रखने के लिए निर्देश जारी किया है।

3.6.9 कर का निर्धारण, उद्ग्रहण एवं संग्रहण

मनोरंजन कर के निर्धारण, उद्ग्रहण एवं संग्रहण के मूल्यांकन से उद्घाटित हुआ कि विभाग द्वारा देय कर का निर्धारण और वसूली की कार्यवाही अपर्याप्त रही और साथ ही साथ विभाग कर निर्धारितियों के द्वारा रिटर्न की प्रस्तुति में नियमों के प्रावधानों को लागू करवाने में असफल रहा जिसके परिणामस्वरूप कर राजस्व की गैर-वसूली और कर संग्रहण में विलंब हुआ जैसा कि आगे के पैराग्राफों में प्रस्तुत किया गया है।

3.6.9.1 केवल आपरेटरों से कर तथा विलम्बित कर भुगतानों पर व्याज का गैर-संग्रहण

डीईबीटी अधिनियम 1996 की धारा 40 में उपबंध है कि यदि कोई स्वामी अधिनियम के प्रावधानों के अधीन अथवा उसके अन्तर्गत बने नियमों के तहत जैसा कि आवश्यक

हो, देय कर का भुगतान करने में असफल रहता है तो उसे देय कर के अतिरिक्त उस देय राशि पर एक माह की अवधि के लिए ब्याज की दर कर के भुगतान की अंतिम तिथि के तत्काल आगामी तिथि से डेढ़ प्रतिशत प्रतिमाह साधारण ब्याज की दर से अदा करना होगा और उसके बाद बशर्ते कि वह इस प्रकार का भुगतान करने में लगातार समय तक चूक करता है तो वह दो प्रतिशत प्रतिमाह साधारण ब्याज की दर से ब्याज अदा करने के लिए उत्तरदायी होगा ।

लेखापरीक्षा संवीक्षण के लिए चयनित तीन जिलों पश्चिम, उत्तर और दक्षिण में पंजीकृत 688 केबल आपरेटरों में से 304 के लेखापरीक्षा मूल्यांकन से उद्घाटित हुआ कि 123 आपरेटरों (39 प्रतिशत) ने पिछले तीन वर्षों के दौरान कर का भुगतान नहीं किया था और 175 आपरेटर ₹ 100.00 लाख की कर राशि के अलावा कर के विलम्बित भुगतानों पर ₹ 11.00 लाख के ब्याज का भुगतान करने में असफल रहे ।

लेखापरीक्षा के अधीन शामिल तीन वर्षों के दौरान इन 175 केबल आपरेटरों के द्वारा समय पर कर की अदायगी करने में 2335 अवसरों पर चूक हुई जबकि 2127 महीने के कर की अदायगी बिल्कुल भी नहीं की गयी ।

सरकार ने कहा है (फरवरी 2013) कि केबल आपरेटरों से जिन्होंने पिछले तीन वर्षों के दौरान कर का भुगतान नहीं किया था, से देय कर और ब्याज की वसूली के प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

3.6.9.2 डीटीएच सेवा प्रदाताओं से विलम्बित भुगतान पर ब्याज की गैर-वसूली

डीईबीटी नियमों के नियम सं. 26ए में उल्लिखित है कि डीटीएच सेवा मालिकों को उस महीने जिसके लिए कर देय हो की समाप्ति से सात दिनों के अन्दर सरकारी लेखे में कर को जमा करना चाहिए ।

सभी छः डीटीएच सेवा प्रदाताओं के लेखापरीक्षा मूल्यांकन से उद्घाटित हुआ कि उन्होंने कर को डीईबीटी अधिनियम की धारा 40 के प्रावधानों के अन्तर्गत गणना की गई ₹ 4.89 करोड़ ब्याज की राशि के भुगतान के बिना सरकारी लेखे में विलम्ब से जमा किया ।

सरकार ने इसके प्रत्युत्तर में सूचित किया (फरवरी 2013) कि डीटीएच प्रदाताओं को ब्याज भुगतान के लिए निर्धारण नोटिस जारी किया गया था ।

3.6.9.3 सिनेमा हॉलों से ₹ 1.26 करोड़ की गैर-वसूली

डीईबीटी नियम, 1997 के नियम संख्या 16 और 25 की शर्तों के अनुसार सिनेमा हॉल/थियेटर मालिकों को रिटर्न को प्रपत्र सं.7 में प्रस्तुत करना और बृहस्पतिवार को समाप्त होने वाले प्रत्येक सप्ताह के अंतिम दिन से चार दिनों के अन्दर मनोरंजन कर जमा करना आवश्यक होता है । सिनेमा हॉलों के अभिलेखों के परीक्षण से यह पता चला कि 12 सिनेमा हॉल मालिकों ने लेखापरीक्षा के अन्तर्गत शामिल 198 सप्ताह की अवधि के लिए ₹ 1.26 करोड़ के मनोरंजन कर को जमा नहीं किया था । विभाग ने सम्बद्ध मालिकों से कर वसूली के मामले का अनुसरण नहीं किया ।

सरकार ने सूचित किया (फरवरी 2013) कि लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान 12 सिनेमा हॉलों में से 2 सिनेमा हॉलों ने अपने देय कर का भुगतान कर दिया है तथा देय मनोरंजन कर को जमा करने के लिए शेष 10 चूककर्ता सिनेमा हॉल मालिकों को नोटिस भेज दिया गया है ।

3.6.9.4 कर-छूट प्राप्त विषयों के आयोजकों द्वारा विनिर्धारित शर्तों का गैर अनुपालन

डीईबीटी अधिनियम 1996 की धारा 14(1) में उल्लिखित है कि सरकार कला, संस्कृति अथवा खेल-कूद की प्रोन्नति के लिए सामान्य अथवा विशेष आदेश के द्वारा किसी विशिष्ट मनोरंजन कार्यक्रम अथवा मनोरंजन संवर्ग को अधिनियम के अन्तर्गत कर भुगतान उत्तरदायित्व से छूट दे सकती है और अधिनियम की धारा 14(4) में उल्लिखित है कि जहाँ सरकार को यह संतुष्टि हो जाए कि मनोरंजन कार्यक्रम लाभ के लिए संचालित न हों एवं मनोरंजन के प्रवेश के लिए भुगतान से सकल प्राप्ति/लोकहितैषी धार्मिक अथवा धर्मार्थ उद्देश्यों को समर्पित हों, मनोरंजन के लिए व्यय के जो भी कारण हों यह ऐसे मनोरंजन को कर के भुगतान से उन नियमों तथा शर्तों जिन्हें वह लागू करने के लिए उचित समझती है, छूट प्रदान कर सकती है ।

इसके अतिरिक्त छूट की निबन्धन एवं शर्तों के अनुसार तथा अधिनियम के प्रावधानों के पालन की सुनिश्चितता के लिए कार्यक्रमों के आयोजकों को घटना की तिथि से 30 दिनों के अन्दर दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करना आवश्यक होता है जिसमें यह दिखाते हुए कि जिस उद्देश्य के लिए छूट प्रदान की गई थी उसके लिए सकल प्राप्ति का उपयोग किया जा चुका है जिसके असफल होने पर विभाग को छूट के लिए दिए गए आवेदन-पत्र में उत्तरदायित्व के रूप में आयोजकों द्वारा प्रस्तुत प्रतिभूति के जब्ती के अलावा मनोरंजन कर की वसूली इस प्रकार करना था मानो छूट ही प्रदान नहीं की गयी थी ।

31 कर-छूट प्राप्त कार्यक्रमों/विषयों के एक लेखापरीक्षा मूल्यांकन से उद्घाटित हुआ कि ₹ 78.41 लाख के कर-छूट को शामिल करते हुए 29 कार्यक्रमों में से 14 आयोजकों ने कार्यक्रमों/विषयों से प्राप्त सकल प्राप्ति के उपयोग के समर्थन में दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत ही नहीं किए तथा 15 आयोजक जिन्होंने दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत किए वे 2 से 24 महीने की देरी से थे । विभाग भी अधिनियम के प्रावधानों को लागू करवाने में असफल रहा जिसके कारण उसे ₹ 78.41 लाख के मनोरंजन कर की हानि उठानी पड़ी । इसके अतिरिक्त उसने ₹ 4.67 लाख राशि की प्रतिभूति जमा को नौ कार्यक्रम आयोजकों को वापस कर दिया । शेष 20 कार्यक्रमों के लिए प्रतिभूति जमा जब्त की जानी शेष है ।

सरकार ने कहा (फरवरी 2013) कि आवेदक आवेदन-पत्र में घोषित उद्देश्यों के लिए निधियों का उपयोग विनिर्धारित अवधि के 30 दिनों के अन्दर नहीं कर सके तथा विभाग इस संबंध में देरी की माफी कर चुका था । सरकार का यह दावा तर्क संगत नहीं है क्योंकि इस संबंध में अभिलेखों पर कुछ भी उपलब्ध नहीं था तथा देरी की माफी के लिए अधिनियम एवं नियमों में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं था ।

3.6.9.5 कर-प्रदत्त कार्यक्रमों के डिमाण्ड ड्राफ्ट्स का देरी से जमा करना

वर्ष 2010-11 और 2011-12 की अवधि के लिए लेखापरीक्षा को उपलब्ध करवाए गए 20 कर-प्रदत्त कार्यक्रमों के अभिलेखों की संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि 16 मामलों में कार्यक्रम के आयोजकों द्वारा जमा ₹ 32.40 लाख राशि के डिमाण्ड ड्राफ्ट को मनोरंजन कर के स्थान पर प्रतिभूति राशि के रूप में सरकारी लेखे में देरी से जमा किया गया जैसा कि आगे के पैराग्राफ में दर्शाया गया है ।

कार्यक्रमों के आयोजकों को जारी संस्वीकृत पत्र की निबंधन एवं शर्तों के अनुसार कार्यक्रम के लेखे विभाग को सत्यापन के लिए प्रस्तुत किए जाने होंगे । कार्यक्रम की तिथि से 15 दिनों के अन्दर देय मनोरंजन कर को जमा करना होगा जिसके असफल होने पर प्रतिभूति राशि जप्त कर ली जाएगी परन्तु इस प्रकार के कोई लेखे विनिर्धारित अवधि के अन्दर प्रस्तुत नहीं किए गए । जिसके परिणामस्वरूप प्रतिभूति जमा के रूप में प्राप्त डिमाण्ड ड्राफ्टों को कर राशि के रूप में माना गया परन्तु असामान्य देरी के साथ सरकारी लेखे में जमा किया गया क्योंकि 16 मामलों में ₹ 32.40 लाख के ड्राफ्ट 31 से 206 दिनों तक की देरी के साथ जमा किए गए ।

सरकार ने कहा (फरवरी 2013) कि आगे से डिमाण्ड ड्राफ्ट सरकारी लेखे में समय पर जमा करा दिए जाएंगे ।

3.6.9.6 बैटिंग कर संग्रहण में जुर्माना प्रावधानों का गैर पालन

डीईबीटी अधिनियम 1996 की धारा 33 में उल्लिखित है कि यदि कोई बुकमेकर जो अधिनियम के प्रावधानों या नियमों का उल्लंघन करता है अथवा अधिनियम के प्रावधानों या नियमों के अनुसार जारी किसी आदेश या निर्देश का पालन करने में असफल रहता है तो वह ₹ 2000 तक के जुर्माने का भागीदार होगा । इसके अतिरिक्त डीईबीटी अधिनियम की धारा 40 में देरी से भुगतान पर ब्याज के लिए उपबंध है कि एक माह की अवधि के लिए कर भुगतान की अंतिम तिथि के तत्काल बाद आगामी तिथि से 1.5 प्रतिशत प्रतिमाह साधारण ब्याज की दर से और उसके बाद वह इस प्रकार का भुगतान करने में चूक करता है तो 2 प्रतिशत प्रतिमाह साधारण ब्याज दर से ब्याज अदा करने के लिए उत्तरदायी होगा ।

वर्ष 2007-08 से 2011-12 की अवधि के लिए लेखा परीक्षा संवीक्षा के लिए चयनित 16 बुक मेकरों के अभिलेखों के लेखापरीक्षा मूल्यांकन से उद्घाटित हुआ कि उन्होंने डीईबीटी नियमों 1997 के अधीन नियम 50 के अनुसार रिटर्न प्रस्तुत नहीं किया । विभाग पुनरीक्षण के अन्तर्गत अवधि के लिए न केवल ₹ 83.20 लाख मूल्य के जुर्माना की वसूली करने में असफल रहा बल्कि कर की राशि की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने में भी असफल रहा । लेखापरीक्षा ने 2009-10 और 2011-12 के वर्षों में 14 बुक मेकरों के द्वारा कर की देरी से जमा पर ₹ 1.28 लाख के ब्याज की गैर अदायगी की गणना की । लेखापरीक्षा को शेष वर्षों के अभिलेखों को उपलब्ध नहीं करवाया गया ।

सरकार ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण के प्रत्युत्तर में सूचित किया (फरवरी 2013) चूँकि विभाग ने जुर्माने से संबंधित कोई आदेश ही नहीं पारित किया था इसलिए लेखापरीक्षा का यह

प्रेक्षण कि विभाग ₹ 83.20 लाख मूल्य के जुर्माने की उद्ग्रहण में असफल रहा, तथात्मक रूप से गलत प्रतीत होता है। सरकार का प्रत्युत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि डीईबीटी अधिनियम के अंतर्गत रखे गये प्रावधानों के अनुसार यह चूककर्ताओं से जुर्माने की उगाही करने वाले सम्बद्ध अधिकारियों/प्राधिकारियों का कर्तव्य है। जहाँ तक बुक मेकरों का देशी से भुगतान के लिए ब्याज की धन राशि का संबंध है विभाग ने सूचित किया कि संबंधित बुक मेकरों को नोटिस भेजा जा चुका है।

3.6.9.7 होटल मालिकों से बकायों की माँग

डीटीएल अधिनियम की धारा 18(4) के अंतर्गत होटल मालिक को नोटिस की सेवा की तिथि से 30 दिनों से पहले नहीं विनिर्धारित अवधि के अन्दर माँग/अतिरिक्त माँग को जमा करना आवश्यक होता है। इसके अतिरिक्त डीटीएल अधिनियम की धारा 18(5) में उपबंध है कि माँग/अतिरिक्त माँग की वसूली बकाया भू-राजस्व के रूप में की जानी चाहिए।

वर्ष 2007-08 से 2011-12 तक की अवधि के लिए माँग एवं संग्रहण रजिस्टर (डीसीआर) के लेखापरीक्षा मूल्यांकन से उद्घाटित हुआ कि 664 मामलों में मूल्यांकन के परिणामस्वरूप ₹ 9.76 करोड़ राशि के उठाए गए माँग को कर निर्धारितियों के द्वारा अभी जमा किया जाना शेष है यद्यपि माँग को जमा करने के लिए 30 दिनों के लिए विनिर्धारित तिथि बहुत पहले ही समाप्त हो चुकी थी। इनमें से 226 मामलों (34 प्रतिशत) का मूल्यांकन किया गया तथा अतिरिक्त माँग निकाले हुए तीन वर्षों से अधिक का समय व्यतीत हो गया। होटल मालिकों से माँग की गैर-अनुपालना के कारण ₹ 9.76 करोड़ की वसूली की जानी शेष रही।

सरकार ने सूचित किया (फरवरी 2013) कि ₹ 0.86 करोड़ राशि की वसूली हो चुकी है और ₹ 5.20 करोड़ की वसूली के लिए अपील की गई है।

3.6.9.8 अपील सम्बन्धी मामलों का निपटान न किया जाना

डीटीएल अधिनियम 1996 की धारा 36(1) में उपबंध है कि कोई भी होटल मालिक पारित मूल कर-निर्धारण आदेश के विरुद्ध अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील दाखिल कर सकता है।

अपील सम्बन्धी मामलों से संबंधित अभिलेखों के लेखा परीक्षा मूल्यांकन से उद्घाटित हुआ कि वर्ष 2007-08 और 2011-12 की अवधि के दौरान 64 अपील सम्बन्धी मामले जिसमें ₹ 4.64 करोड़ का विलासिता कर शामिल था को दाखिल किया गया। हालाँकि अपील प्राधिकारी ने ₹ 11.19 लाख को शामिल करते हुए केवल तीन मामलों पर निर्णय दिया। यद्यपि इन मामलों में होटल मालिकों द्वारा सरकारी लेखे में विलासिता कर को जमा किया जाना शेष है। इसके अतिरिक्त शेष 61 मामलों में से 18 मामले कर-निर्धारण प्राधिकारी को वापस रिमाण्ड पर भेजे गए तथा 43 मामले अपील प्राधिकरण में अभी तक लम्बित पड़े थे। अभिलेखों पर कोई कारण उपलब्ध नहीं था कि ये अपील सम्बन्धी मामले पाँच वर्षों तक क्यों लम्बित पड़े रहे। लम्बित अपील मामलों का वर्षवार

ब्यौरा तालिका 3.5 में दिया गया है:

तालिका 3.5 : लम्बित अपील मामलों का वर्ष-वार विवरण

| वर्ष | लम्बित मामले |
|---------|--------------|
| 2007-08 | 11 |
| 2008-09 | 25 |
| 2009-10 | 04 |
| 2010-11 | 03 |

लम्बित अपील मामले **अनुलग्नक-1** में दर्शाए गए हैं ।

सरकार ने इन अपीलीय मामलों के शीघ्र निपटान के लिए आश्वासन दिया है (फरवरी 2013)।

3.6.9.9 बैकेट हॉल पर विलासिता कर का गैर-उद्ग्रहण

डीटीएल अधिनियम में उल्लिखित है कि होटल मालिक, को प्राप्तियों के टर्नओवर पर, जो 15 प्रतिशत से ज्यादा नहीं हो, अधिसूचित दर पर विलासिता कर का उद्ग्रहण करना चाहिए । जहाँ पर प्रभारों को दैनिक आधार से भिन्न लगाया जाता है तब वहाँ पर कर दायित्व निर्धारित करने के लिए प्रभारों को अधिग्रहित आवास की संपूर्ण अवधि पर आधारित एक दिन के लिए प्रति कक्ष के अनुपात में परिकलित किया जाएगा ।

होटलों के अभिलेखों के लेखापरीक्षा मूल्यांकन से उद्घाटित हुआ कि होटलों के द्वारा प्राप्त बैकेट हॉलों/सम्मेलन कक्षों के लिए किराया/भाड़ा प्रभारों को विलासिता कर के उद्ग्रहण के उद्देश्य से होटल की प्राप्तियों में नहीं शामिल किया गया था जिसके परिणामस्वरूप 6 होटलों से ₹ 5.99 करोड़ के कर का कम संग्रहण हुआ ।

पूर्व निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान लेखा परीक्षा के द्वारा उठाए गए बिन्दुओं के प्रत्युत्तर में सरकार ने कहा (अगस्त 2006) था कि आवासीय उद्देश्यों के लिए किसी होटल में उपलब्ध कमरों पर विलासिता कर उद्ग्रहणीय था । बैकेट हॉल/सम्मेलन कक्ष आवासीय उद्देश्यों के लिए किराये पर नहीं उठाए जाते हैं और इसलिए होटलों के द्वारा उनसे प्राप्त किराया/भाड़ा प्रभार “होटल में उपलब्ध विलासिता” विलासिता कर के उद्देश्यों के लिए नहीं थे और इस प्रकार उस पर विलासिता कर उद्ग्रहणीय नहीं था । सरकार ने कहा (फरवरी 2013) कि विलासिता कर की सीमा के अन्तर्गत बैकेट प्राप्तियों को शामिल करने के लिए 22 जून 2012 को अधिसूचना जारी कर दी गयी है जो पूर्व निष्पादन लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत किए गए लेखा परीक्षा दृष्टिकोण को प्रमाणित करता है ।

3.6.9.10 बुक मेकरो का गैर निरीक्षण

डी.ई.बी.टी. अधिनियम, 1996 की धारा 26 में उल्लिखित है कि अधिकार प्राप्त अथवा प्राधिकृत अधिकारियों को अधिनियम एवं नियमों के प्रावधानों की अनुपालना की सुनिश्चतता के लिए बुक मेकरो, बैटिंग एवं टोटलाइजेटर्स के विषय में कर के निर्धारण, उद्ग्रहण एवं संग्रहण के लिए निरीक्षण करने की शक्ति है । हालाँकि यह

पाया गया कि इस प्रकार का कोई भी निरीक्षण न तो किसी आयुक्त द्वारा अथवा न ही उनके बदले में किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा संचालित किया गया ।

लेखापरीक्षा प्रेक्षण की अनुपालना में सरकार ने कहा (फरवरी 2013) कि विभाग ने (सितंबर 2012) को बुक मेकर्स का निरीक्षण किया और निरीक्षण के उपरान्त चार बुक मेकर्स के लाइसेंस रद्द कर दिए ।

3.6.9.11 केबल ग्राहकों की संख्या का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण न करना

किसी राजस्व अर्जित करने वाले विभाग को यथासंभव कर निर्धारितियों की वास्तविक संख्या का पता लगाने और अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत उद्ग्रहीत और संग्रहीत देय कर की सुनिश्चितता के लिए कदम उठाना आवश्यक है । चूंकि केबिल आपरेटर्स से संग्रहीत कर दिल्ली की जनसंख्या एवं सामाजिक-आर्थिक रूपरेखा के अनुरूप नहीं था जिसका कि विभाग की ओर से नमूना सर्वेक्षण किया जाना आवश्यक था । यदि नमूना सर्वेक्षण सम्पूर्ण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए आवश्यक नहीं था तो कम से कम चयनित क्षेत्रों में ग्राहकों की संख्या के बारे में केबिल आपरेटर्स द्वारा की गई घोषणा की शुद्धता का पता लगाने के लिए किया जाना आवश्यक था । हालाँकि विभाग ने केबिल संचालकों के द्वारा देय कर, वास्तव में अदा किए जा रहे थे, की सुनिश्चितता हेतु कोई कदम नहीं उठाया ।

सरकार ने कहा (फरवरी 2013) कि कर्मचारियों की कमी एवं दिल्ली की विशाल भौगोलिक सीमा के कारण केबिल ग्राहकों के सर्वेक्षण को अभिनिश्चित नहीं किया जा सका । इसके अलावा सरकार ने कहा कि मल्टी सिस्टम आपरेटर्स (एमएसओ) जो कि सीमित संख्या में हैं की नियुक्ति के बाद कर संग्रहण में रिसाव की रोकथाम आसान हो जाएगी ।

3.6.9.12 केबल आपरेटर्स से कमतर राशि के लिए प्रतिभूति

विभाग में प्रचलित व्यवहार के अनुसार केबल आपरेटर्स के द्वारा डीईवीटी अधिनियम की धारा 13 के अनुरूप एक महीने के कर के बराबर प्रतिभूति राशि जमा की जानी चाहिए । दिल्ली के तीन जिलों अर्थात् दक्षिण, उत्तर एवं पश्चिम जिलों में से चयनित 193 केबिल आपरेटर्स के लेखा परीक्षा मूल्यांकन से उद्घाटित हुआ कि 79 केबल आपरेटर्स (41 प्रतिशत) ने ₹ 2.72 लाख की अपेक्षित प्रतिभूति राशि जमा नहीं की । 30 आपरेटर्स (16 प्रतिशत) की फाइलें लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं करायी गयी ।

सरकार ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण की स्वीकारोक्ति के दौरान सूचित किया (फरवरी 2013) कि केबिल आपरेटर्स को नोटिस भेजा जा चुका है एवं क्षेत्रीय पदाधिकारियों को शेष प्रतिभूति राशि के संग्रहण के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए जा चुके हैं ।

3.6.10 आन्तरिक लेखापरीक्षा

किसी संगठन की आंतरिक लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करने के लिए होता है कि इसके द्वारा स्थापित आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली अपने कुशल एवं लागत प्रभावी कार्य के लिए पर्याप्त और प्रभावी है। हालाँकि पिछले चार वर्षों के दौरान विभाग में कोई भी

आन्तरिक लेखापरीक्षा का संचालन नहीं किया गया यद्यपि पूर्व निष्पादन लेखापरीक्षा में कम से कम वार्षिक आधार पर आन्तरिक लेखापरीक्षा का संचालन किए जाने की सिफारिश की गई थी ।

लेखापरीक्षा में उठाए गए बिन्दुओं पर सरकार ने कहा (फरवरी 2013) कि आन्तरिक लेखापरीक्षा की शुरुआत हो चुकी है और वह प्रगति पर है । उपायुक्त (कर) ने समापन सम्मेलन के दौरान तथ्यों की पुष्टि की थी ।

3.6.11 विभागीय नियमावली

विभाग के कार्यों एवं गतिविधियों के नियमित करने और सरल व कारगर बनाने के लिए विभागीय नियमावली आवश्यक है परन्तु कोई विभागीय नियमावली विभाग द्वारा तैयार नहीं की गई जबकि अधिनियम 1996 में ही लागू हो गया था । नियमावली के अभाव में प्रभावी आन्तरिक नियंत्रण को लागू और मूल्यांकित नहीं किया जा सकता ।

3.6.12 पूर्व निष्पादन लेखापरीक्षा के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर निष्क्रियता

मार्च 2007 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियों) में प्रकाशित वर्ष 2000-01 से 2004-05 की अवधि में शामिल विषय के निष्पादन लेखापरीक्षा में कर-निर्धारितियों के द्वारा प्रस्तुत किए गए रिटर्नों की वैधता एवं शुद्धता की प्रति जाँच करने की क्रियाविधियों की शुरुआत के साथ-2 अभिलेखों के रख-रखाव और प्रलेखन की गुणवत्ता में सुधार और अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कर के बकायों के प्रभावी अनुसरण की सिफारिश की गयी थी परन्तु लेखापरीक्षा से पता चला कि विभाग के द्वारा पूर्व लेखापरीक्षा सिफारिशों के पालन में कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया ।

सरकार ने कहा (फरवरी 2013) कि हॉल ही में कर के संग्रहण की उचित निगरानी हेतु विभाग की सम्पूर्ण सेवाओं के कम्प्यूटरीकरण के लिए टाटा कन्सल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड (टीसीएस) के साथ समझौते के ज्ञापन-पत्र (एम.ओ.यू.)पर हस्ताक्षर किया है ।

3.6.13 निष्कर्ष

विभाग द्वारा सम्पूर्ण अभिलेखों का गैर-रखरखाव विशेष रूप से मनोरंजन एवं बैटिंग कर के संग्रहण के सम्बन्ध में निरर्थक प्रयास सिद्ध हुआ क्योंकि विभाग के पास कर निर्धारितियों द्वारा जमा की गई कर राशि को सही कर राशि के रूप में स्वीकार करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं था। इसके अलावा विभाग द्वारा संगत अधिनियमों एवं नियमों के प्रावधानों को लागू करने की असफलता के परिणामस्वरूप कर निर्धारितियों से देय कर की वसूली नहीं हो पायी। कर-छूट प्राप्त कार्यक्रमों के आयोजकों को बिना आवश्यक दस्तावेजों को प्राप्त किए ही प्रतिभूति राशि की वापसी कर दी गयी यद्यपि विभाग को कर-छूट को रद्द करना आवश्यक था एवं देय कर यदि कर से छूट की स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई हो तो वसूल करना था। माँग के गैर अनुसरण के परिणामस्वरूप होटल मालिकों से कर की बकाया राशि इकट्ठा हो गयी।

3.6.14 सिफारिशें

- ❖ रिटर्न और चालानों के सम्पूर्ण अभिलेखों के रख-रखाव तथा विधिक प्रावधानों के सुनिश्चित पालन के लिए निगरानी प्रक्रिया को समर्थ बनाने की अनिवार्य आवश्यकता है ।
- ❖ अधिनियम एवं नियमों के प्रावधानों के अनुसार कर के बकायों के अनुसरण के लिए समय पर कार्यवाही की शुरुआत किए जाने की आवश्यकता है ।
- ❖ अपीलिय मामलों के निपटान के लिए निश्चित समय सीमा को निर्धारित किए जाने की आवश्यकता है ताकि सरकार को देय राशि की वसूली शीघ्रातिशीघ्र हो सके ।
- ❖ विभाग को प्रभावी और दक्ष बनाने हेतु नियमित आधार पर आन्तरिक लेखापरीक्षा किया जाना चाहिए ।
- ❖ विभागीय नियामवली तैयार की जानी चाहिए ।